न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 43 / 2024 दायर दिनॉक 01.02.2024

वादी		प्रतिवादी
1. अमराराम पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी बरांगना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना– कुचामन राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री हरफुलराव एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 25.02.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी के खेत खसरा सं0 1094 / 740 रकबा 0.1700 हैक्टे0 वाकै सरहद बरांगना की भूमि वादी की एकल कब्जा काश्त रहा है। वादी उक्त भूमि को निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग में लेते आ रहा है।

राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने उक्त वर्तमान खेत खसरा सं0 1094 / 740 रकबा 0.1700 हैक्टे0 की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दी जबकि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की किस्म बारानी 1 थी। उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है जो सदैव ही कृषि भूमि रही है जिसकी किस्म बारानी 1 रही है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1092 / 740 का ही भाग है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

खेत खसरा सं0 1094 / 740 रकबा 0.1700 हैक्टे0 वाकै सरहद बरांगना, पटवार हल्का बरांगना की किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर बारानी 1 (वादी की कृषि भूमि) अंकित की जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश सादर फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट व तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट व दस्तावेजो के अनुसार वाकै सरहद बरांगना खसरा सं0 1094 / 740 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। परन्तु मौके पर रास्ते के अलामात नही है। तथा नवीन भू–प्रबन्ध से पूर्ववर्ती रिकॉर्ड में रास्ता अंकन नही था। वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता का उपयोग काश्त करने के काम आ रहा है। खेत खसरा सं0 1094 / 740 रकबा 0.1700 हैक्टे0 वाकै सरहद बरांगना, पटवार हल्का बरांगना की किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर बारानी 1 (वादी की [illegible]) अंकित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाना सही [illegible] अतः [illegible] राजस्व वाद, वादी का वाद डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद बरांगना, पटवार हल्का बरांगना के खेत खसरा सं0 1094/740 रकबा 0.1700 हैक्टे0 गै0मु0 रास्ता में किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर बारानी 1 (वादी की कृषि भूमि) अंकित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **43/2024**

दायर दिनाँक 01.02.2024

वादी		प्रतिवादी
1. अमराराम पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी बरांगना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना– कुचामन राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफ़िसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी एडवोकेट वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद बरांगना, पटवार हल्का बरांगना के खेत खसरा सं0 1094/740 रकबा 0.1700 हैक्टे0 गै0मु0 रास्ता में किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर बारानी 1 (वादी की कृषि भूमि) अंकित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। दिनाँक 25.02.2025

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 25.02.2025 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Vkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हुआ हो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:20:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner